

गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 111/2018

तारीखरजू:- 31.8.18

उनवान:- सरवती बनाम अमरसिंह वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
31/8/18	वादी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26.09.2018 को पेश हो।  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
24.10.18	जनरल पेशीसे पेश हुई। अर्धी वकील उप0। जलवादी गण की ओरसे श्री रमेश चन्द्र खैनी Adv. ने वकालत नामा पेश किया। जबाब पेश कले दिनांक 2.1.19 को पेश हो।
18.1.19	जनरल पेशीसे पेश हुई। वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी भोगण प (हे)। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 7.2.19 को पेश हो।
7.2.19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी अतः कार्य में व्यस्त है। गतानुसार दिनांक 5.3.19 को पेश हो।
5.3.19	वकुलाय उप0। जबाब पेश कले दिनांक 27.3.19 को पेश हो।
27.3.19	वकुलाय उप0। जबाब दावा पेश किया। नकल वादी वकील ने प्राप्त की। तानकी कायम कले दि० 25.4.19 को पेश हो।
25/4/19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कुंआर कर्मा 2 को पेश हो। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 13/6/19 को पेश हो।

3109-10  
31/8/18

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

## फर्द अहकाम

8.1.20 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी-पुनर्वसूची में पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 10.2.20 को पेश हो।

10.2.20

वकील समयपस उपस्थित | वादिया एवं प्रतिवादीगण उपस्थित | वादिया एवं प्रतिवादीगण ने कफन किया कि हमारी जमीन का सीमाज्ञान करा दिया जोष | हमारी जमीन पास-पास है सीमाज्ञान हो जायेगा तब कोई परेशानी नहीं है पक्षकारान की जानकारी उनके वकीलो द्वारा की गई | पक्षकारों के मध्य मुख्यतः सीमाज्ञान को लेकर विवाद है | इसलिए तहसीलदार टोडाभीम को विवादित आराजीघात का सीमाज्ञान करवोये जोन बास्ते लिखा जाना उचित पाता है |

अतः तहसीलदार टोडाभीमको आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकारान द्वारा आराजीघात का सीमाज्ञान करवोये जोन बास्ते नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कले पर पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवें | सीमा निर्धारण हो जोन के पश्चात मैरिजफमान को हवाई निवेदन से पाबन्द किया जाता है कि सापलान की भूमि में किसी प्रकार से मजासहत सदाबलत नहीं करे | पत्रावली फेसल शुमार दोकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो |

निर्णय आज दिनांक 10.2.20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सम्मिलित सुनाया गया |

(दुर्गाप्रसाद मीना)  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

मेरी 0.88 हेक्टर को नामांकन का सीमाये 1

10.2.20

पक्षकारान की जानकारी उनके वकीलो द्वारा की गई | पक्षकारों के मध्य मुख्यतः सीमाज्ञान को लेकर विवाद है | इसलिए तहसीलदार टोडाभीम को विवादित आराजीघात का सीमाज्ञान करवोये जोन बास्ते लिखा जाना उचित पाता है |

अमरसिंह

दिनांक

10.2.20

10.2.20

